भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2066

12.02.2021 को उत्तर के लिए

वायु और धूल से उत्पन्न प्रदूषण पर नियंत्रण

2066. श्री विद्युत बरन महतो :
श्री चंद्र शेखर साहू :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विशेष टीमों का गठन करने और धूल की समस्या और उससे उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए निरीक्षण अभियान शुरु करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्य कौन-से हैं जिन्होंने ऐसे विशेष दल गठित किए हैं और निरीक्षण किया है;

(ग) सरकार/सीपीसी बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/दिशानिर्देशों और धूल शमन उपायों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों/साइटों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघनों की पुनरावृत्ति की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को एनसीआर में निर्माण व विध्वंस कार्यकलापों से संबंधित परिसरों की निगरानी के लिए, उस सामग्री की प्रक्रियाओं और परिवहन के लिए एक विशेष टीम के गठन और निरीक्षण अभियान आरंभ करने का निर्देश दिया है।

(ख) और (ग) : आयोग के आदेशों पर इन संस्थाओं ने 227 टीमों को गठित करके 24.12.2020 से 31.12.2020 तक गहन अभियान संचालित किए। सीपीसीबी/एसपीसीबी और डीपीसीसी द्वारा धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन के लिए निर्माण एवं विध्वंस स्थलों के निरीक्षण की प्रगति की भी समीक्षा ''सुरक्षा और प्रवर्तन'' पर उप-समिति द्वारा 8 जनवरी, 2021 को हुई अपनी बैठक में की गई और निर्देशित किया कि निवारक पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूलने सहित कड़ी कार्रवाई के साथ ही निरीक्षण कार्य तेज किया जाए और पाक्षिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) को लागू करने का भी निर्देश दिया है **(अनुबंध-I)।**

(ग) और (घ) : इन टीमों ने 5,725 से अधिक निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर औचक निरीक्षण और जांच की जिनमें से 836 स्थलों पर मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित अनेक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों/दिशा-निर्देशों तथा धूल उपशमन के उपायों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 84 स्थानों पर कार्य में रूकावट के आदेश के अतिरिक्त, चूककर्ता संस्थानों के विरूद्ध लगभग 2.56 करोड़ रूपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार लगाया गया। निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से संबंधित सामग्रियों के परिवहन के संबंध में निरीक्षण टीमों द्वारा अनुपालन भी देखा गया है। करीब 1,176 वाहनों, जोकि निर्माण एवं विध्वंस सामग्री के परिवहन से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थे, पर कुल करीब 1.67 करोड़ रूपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार लगाया गया। यह भी ध्यान दिया जाए कि इस तरह के पाक्षिक अभियान निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमो के अनुपालन और निर्माण एवं विध्वंस जो क्षेत्र में ख़राब वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देता है, से धूल से हुए प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए जारी है।

****

अनुबंध-I

सं. सीएक्यूएमएनए/2020-जीआरएपी

भारत सरकार

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्र

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड,
नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 नवंबर, 2020

सेवा में,

श्री डी.एस.मीणा,
अध्यक्ष,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली -110032.

विषय : ग्रेडेड रिस्पोन्स एक्शन प्लॉन (ग्रेप) का कार्यान्वयन।

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर क्षेत्र में दूषित वायु गुणवत्ता को देखते हुए आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा पहले से ही अधिसूचित ग्रेडेड रिस्पोन्स एक्शन प्लॉन (ग्रेप) को लागू करने की आवश्यकता है।

2. आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, जब तक आयोग द्वारा व्यवस्था स्थापित नहीं की जाती, एक अंतरिम उपाय के तौर पर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को अगले आदेशों तक, जीआरएपी उपायों के संचालन और निगरानी का काम सौंपा गया है।

भवदीय,

हस्ताक्षरित/-
(अरविंद कुमार नौटियाल)
संयुक्त सचिव और सदस्य
टेलीफोन: 24695340
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

(i) मुख्य सचिव, दिल्ली
(ii) मुख्य सचिव, राजस्थान
(iii) मुख्य सचिव, हरियाणा
(iv) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश